(जी. एस. संधवालिया, जे.)

जी. एस. संधवालिया जे. के समक्ष,

बालजिंदर कौर-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

2017 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 24430

25 जनवरी, 2021

भारत का संविधान, 1950-कलाएँ।226 और 227-मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को हरियाणा अनुकंपा सहायता नियम, 2006 (2006 के नियम)-पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड 2 (हरियाणा राज्य पर लागू)-परिवार पेंशन नियम, 1964-मासिक वित्तीय सहायता और पारिवारिक पेंशन अवशिष्ट का अनुदान-आयोजित, याचिकाकर्ता को हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण पेंशन से इनकार करने का आदेश उसके पति की मृत्यु से असंबंधित है-आदेश स्थायी नहीं है और याचिकाकर्ता को ब्याज के साथ पारिवारिक पेंशन अवशिष्ट की अनुमति है-याचिका की मंजूरी है।

यह अभिनिर्धारित किया कि, परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की राय है कि दिनांक 12.09.2017 का आदेश जिसमे याचिकाकर्ता को उसकी सजा के

कारण पेंशन देने से इनकार किया गया था, उसके पति की मृत्यु से असंबंधित है और स्थायी नहीं है और तदनुसार, उक्त आदेश को निर्धारित कर दिया जाता है।

(पैरा 13)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि, तदनुसार, एक परमादेश जारी किया जाता है

प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को मासिक वित्तीय सहायता अवशिष्ट का भुगतान करना, जो 2006 के नियमों के तहत देय होने तक स्वीकार्य था। इसके बाद, पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर कार्रवाई की जाए और उसे अवशिष्ट राशि का भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ता देय होने की तारीख से उक्त अवशिष्ट पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का लाभ भी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(पैरा 14)

G.S.Sullar, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ता के लिए।

संदीप मान, अतिरिक्त ए. जी, हरियाणा।

जी. एस. संधवालिया, जे.

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.09.2017 के आदेश को चुनौती दी है।

(अनुलग्नक पी-8) प्रतिवादी सं.2 जिसके तहत मासिक वित्तीय सहायता और पारिवारिक पेंशन बकाया अनुदान के उसके दावे को खारिज कर दिया गया है। नतीजतन, नवंबर, 2011 से वेतनमान में संशोधन के कारण संशोधित वेतन अवशिष्ट के साथ-साथ मासिक वित्तीय सहायता, पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभों अवशिष्ट सहित पारिवारिक पेंशन के लाभों को जारी करने के लिए परमादेश से एक रिट की मांग की जाती है और याचिकाकर्ता के पति तारसेम सिंह के देय अन्य स्वीकार्य लाभ, जिनकी 17.11.2008 पर सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। उपर्युक्त राशि के वितरण में देरी के कारण 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी दावा किया जाता है।

(2) उक्त लाभों को अस्वीकार करने के लिए दिया गया तर्क यह है कि याचिकाकर्ता का आचरण अच्छा नहीं था क्योंकि उसे न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और इसलिए, उसे मासिक वित्तीय सहायता और पारिवारिक पेंशन के दायित्व दोनों पर आर्थिक लाभ नहीं दिए जा सकते थे।उपरोक्त तर्क के लिए, प्रतिवादी नं 2 मृतक सरकारी कर्मचारी नियम, 2006 (इसके बाद "2006 के नियम" के रूप में संदर्भित) के आश्रितों के लिए हरियाणा अनुकंपा सहायता के प्रावधानों और परिवार पेंशन नियम, 1964 सहित पंजाब सिविल सेवा नियम खंड-II के तहत पेंशन प्रावधानों पर भरोसा किया।इस प्रकार, उक्त आदेश का लिखित बयान दाखिल करके बचाव किया गया है कि पेंशन कोई दान या इनाम नहीं है और यह नियोक्ता की इच्छा

के आधार पर एक सशर्त भुगतान है।हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उक्त लाभ की अनुमति नहीं दी जा सकती है और चूंकि याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है और उसे जमानत पर रिहा करते समय केवल उसकी सजा को निलंबित कर दिया गया है, इसलिए उसे हरियाणा सरकार के तहत किसी भी आर्थिक लाभ का हकदार नहीं ठहराया गया था।पंजाब सिविल सेवा नियम खंड-II (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है) के नियम 2.2 (ए) पर प्रतिवादी द्वारा भरोसा किया गया है।

(3) वर्तमान मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ता का पति 1986 से नियमित रूप से प्रतिवादी-शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था।याचिकाकर्ता को बच्चों के साथ अपनी विधवा के रूप में पीछे छोड़कर गए, उनकी मृत्यु 17.11.2008 पर हुई। 2006 के नियमों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर, ऐसे मृत कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता देय हो गई, और यह 2006 के नियमों में निर्दिष्ट तिथि या उस तारीख तक देय बनी रहेगी जब कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता, जो वर्तमान मामले में 31.10.2017 है। इसके बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता प्राथमिकी ने कुछ समय के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करना जारी रखा, लेकिन फिर FIR

No.126 दिनांकित 31.07.2009 में शामिल थी।उसे 19.11.2011 पर गुरजीत सिंह के साथ दोषी ठहराया गया और 23.11.2011 पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई (अनुलग्नक पी -5).उन्होंने सबसे पहले 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. No.5086 दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि पारिवारिक पेंशन और अन्य स्वीकार्य लाभ जारी करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।प्रतिवादी ने बचाव पक्ष को स्वीकार किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित किया गया था, इसलिए उसके अच्छे आचरण की कमी के कारण, मासिक वित्तीय सहायता की राशि को रोक दिया गया था। परिणामस्वरूप, 15.05.2017 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया कि मासिक वित्तीय सहायता का भुगतान जारी रखा जाएगा और एक स्पष्ट आदेश पारित किया जाएगा कि क्या यह 17.11.2016 तक देय था और क्या इसके बाद पारिवारिक पेंशन को रोका जा सकता है।उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा 14.09.2017 (अनुलग्नक पी-9) पर निष्फल होने के कारण किया गया था क्योंकि विवादित आदेश 12.09.2017 पर पारित किया गया था, जैसा कि पहले देखा गया था।

(4) याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादी द्वारा विभिन्न नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर भरोसा किया गया, जिन्हें नीचे पढ़ा गया हैः-

2006 के नियमों के नियम 3 और 5 (1) (सी)

“3. योग्यताः- इन नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता पेंशन/परिवार पेंशन योजना, 1964 के प्रावधान के अनुसार होगी।”

XXXXXXXXXX

“5. वित्तीय सहायता के लिए मानदंडः-

(1) किसी भी सरकार की मृत्यु पर। कर्मचारी, कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में वेतन के बराबर राशि प्राप्त होती रहेगी और अन्य भत्ते जो अंतिम बार मृतक कर्मचारी द्वारा लिए गए थे, बिना कोई विशिष्ट दावा किए सामान्य प्रक्रिया हैः-

((a) XXX XXX XXX

(ख) XXX XXX XXX

(ग) सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गया होगा, जो भी कम हो, यदि कर्मचारी अड़तालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

(2) परिवार 360 के रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा।

सामान्य नियमों के अनुसार केवल उस अवधि के बाद जब वह उपरोक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करता है।"

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-II

" 2.2 (अ):- भविष्य का अच्छा आचरण पेंशन के प्रत्येक अनुदान की एक निहित शर्त है।यदि पेंशनभोगी को गंभीर अपराध का दोषी ठहराया जाता है या वह गंभीर कदाचार का दोषी होता है तो नियुक्ति प्राधिकरण के पास पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को रोकने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रहता है।

इस नियम के तहत पेंशन के पूरे या किसी भी हिस्से को रोकने या वापस लेने के किसी भी प्रश्न पर नियुक्ति प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के उद्देश्य के लिएः- (1) विभागीय कार्यवाही तब शुरू की गई मानी जाएगी जब पेंशनभोगी के खिलाफ बनाए गए आरोप उसे जारी किए जाते हैं या, यदि अधिकारी को ऐसी तारीख से पहले की तारीख से निलंबित कर दिया गया है; और (ओं) न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई मानी जाएगी-(i) आपराधिक कार्यवाही के मामले में, जिस तारीख को शिकायत की जाती है या आपराधिक अदालत में चालान जमा किया

जाता है; और (ii) दीवानी कार्यवाही के मामले में, जिस तारीख को शिकायत प्रस्तुत की जाती है या, जैसा भी मामला हो, दीवानी अदालत में आवेदन किया जाता है।ध्यान दें 1.- जैसे ही उपरोक्त नियम में निर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाही शुरू की जाती है, ऐसी कार्यवाही शुरू करने वाले प्राधिकरण को बिना किसी देरी के महालेखाकार को इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए।

नोट 2.-- जिस मामले में पेंशन को रोका या वापस नहीं लिया जाता है, लेकिन सरकार को हुए किसी भी आर्थिक नुकसान की राशि को पेंशन से वसूल करने का आदेश दिया जाता है, उस मामले में वसूली सामान्य रूप से मूल रूप से स्वीकृत सकल पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर से नहीं की जानी चाहिए, जिसमें कोई भी राशि शामिल है जो परिवर्तित की गई हो।"

परिवार पेंशन नियम, 1964 के नियम 4 (ए) और (बी)

4-ए. (ए) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर भी, इस नियम के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, तो उस पर सरकारी कर्मचारी की हत्या के अपराध का आरोप लगाया जाता है।

ऐसे अपराध के लिए, अन्य पात्र सदस्य या परिवार के सदस्यों सहित ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का दावा, उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के समापन तक निलंबित रहेगा।

(ख) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट आपराधिक कार्यवाही के समापन पर, संबंधित व्यक्ति-(i) सरकारी कर्मचारी की हत्या या हत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा जो परिवार के अन्य योग्य सदस्य को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से देय होगी।"

(5) प्रासंगिक नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि मासिक वित्तीय सहायता पेंशन/परिवार पेंशन योजना, 1964 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को देय थी।पंजाब सिविल सेवा नियम खंड-II का नियम 2.2 (ए) पेंशनभोगी के भविष्य के अच्छे आचरण के बारे में बात करता है क्योंकि यदि पेंशनभोगी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या गंभीर कदाचार का दोषी होता है तो पेंशन को रोका या वापस लिया जा सकता है।इस प्रकार, नियुक्ति प्राधिकरण के पास पेंशन के पूरे या किसी भी हिस्से को रोकने या वापस लेने का विवेकाधिकार है। नियम 2 (ए) के स्पष्टीकरण के साथ संलग्न ध्यान दें 2 में पेंशन से सरकार को हुए किसी भी आर्थिक नुकसान की वसूली के बारे में बात की गई है, लेकिन ऐसी वसूली मूल रूप से स्वीकृत सकल पेंशन के एक तिहाई

से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें कोई भी राशि शामिल हो जो परिवर्तित की गई हो।इस प्रकार, उपरोक्त नियम किसी गंभीर अपराध के लिए किसी पेंशनभोगी को दोषी ठहराने या उसके घोर दुराचार के दोषी होने की स्थिति में पेंशन को रोकने या वापस लेने के बारे में बात करता है, लेकिन यह वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले परिवार के सदस्य को संदर्भित नहीं करता है।कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से लेकर पारिवारिक पेंशन देने तक की मध्यवर्ती अवधि के लिए, 2006 के नियमों के अनुसार, मासिक वित्तीय सहायता के हकदार नहीं होने के कारण परिवार के सदस्यों के कदाचार के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है और इसलिए, पंजाब सिविल सेवा नियमों के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करना जारी रखने की पात्रता से प्रतिवादी द्वारा इनकार नहीं किया जा सकता था।

(6) अन्यथा भी, नियम 2 (ए) में प्रावधान है कि पेंशन से वसूली सकल पेंशन के एक तिहाई से अधिक राशि से नहीं की जा सकती है और इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह तय किया गया है कि पूर्ण पेंशन को रोका नहीं जा सकता है और इस संबंध में निर्भरता को इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले पर रखा जा सकता है। शंकर लाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में 2013 के एल. पी. ए. No.427 ने 12.11.2014 पर निर्णय लिया, जिसमें एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत तीन साल की अवधि के लिए दोषी ठहराया गया था।पंजाब सिविल सेवा नियम खंड 2 के नियम 2 (ए) के तहत पूरी पेंशन रोक दी गई थी। विद्वत एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और अंतर-न्यायालय अपील खण्ड पीठ के समक्ष की

गई थी, जिसने देखा कि पेंशन पर कटौती सकल पेंशन के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है और तदनुसार, विवादित आदेश को इस मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए अलग कर दिया गया था।उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

> "उपरोक्त नियम के खंड (ii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त नियम के तहत किसी कर्मचारी की पूरी पेंशन को रोका या निकाला नहीं जा सकता है और केवल पेंशन के एक हिस्से को रोका या निकाला जाना है और पेंशन के ऐसे हिस्से की राशि सामान्य रूप से कुल पेंशन के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।
>
> हमारी राय में, प्राधिकरण ने दिनांक 22.03.2012 का आदेश पारित करते समय मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया है और मनमाने तरीके से अपीलकर्ता की पूरी पेंशन को रोक दिया है।इस प्रकार, प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 22.03.2012 का विवादित आदेश रद्द किया जा सकता है।
>
> तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है और प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 दिनांकित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और उपरोक्त पहलू के आलोक में इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और फिर आज से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को

सुनने के बाद कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए मामला प्राधिकरण को भेजा जाता है।यदि अपीलीय प्राधिकरण उपरोक्त नियम के अनुसार पेंशन का कुछ हिस्सा रोकता है, तो पेंशन की शेष राशि प्राधिकरण के निर्णय के एक महीने की अवधि के भीतर तुरंत अपीलकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर अपीलकर्ता को कानून के अनुसार उक्त राशि पर ब्याज का भी हकदार माना जाएगा।"

(7) प्रेम चंद ढांड बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य के मामले में भी ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया है जिसमें भी एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत छह साल के लिए दोषसिद्धिपेंशन के भुगतान को रोक दिया गया था, जिसे चुनौती दी गई थी और उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया गया था को पारित करने का निर्देश जारी किया गया था। मामले पर पुनर्विचार करने के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश।

(8) इसी तरह का दृष्टिकोण दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2 के मामले में लिया गया था, जिसमें एक कर्मचारी को भा.दं.सं. सी. की खंड 324 के तहत नौ महीने की सजा सुनाई गई थी। पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 2.2 (ए) के कारण उनकी अस्थायी पेंशन को रोक दिया

गया था, लेकिन उक्त आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया था कि किसी व्यक्ति के पास उसके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त राशि छोड़ी जानी चाहिए और यह माना गया कि विभाग की जांच या आपराधिक अदालत द्वारा गंभीर कदाचार के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की पेंशन को 100% की सीमा तक नहीं रोका जा सकता है।नतीजतन, उक्त सिद्धांत को वर्तमान मामले में भी लागू किया जाना है, क्योंकि विवादित आदेश द्वारा, पेंशन में 100% कटौती लागू की गई है।

(9) यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने हत्या का अपराध किया है और वह जमानत पर है और उसकी सजा निलंबित कर दी गई है और इसलिए, उसे अपना भरण-पोषण करने की आवश्यकता है और उसे वित्तीय सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता है और यह इनाम नहीं है, और यह उसके पति द्वारा सरकार को दी गई सेवाओं के कारण उसका अधिकार है।यहां तक कि 2006 के नियमों के अनुसार, उद्देश्य, वित्तीय सहायता देकर, रोटी कमाने वाले के नुकसान के परिणामस्वरूप मृत कर्मचारी के परिवार की आकस्मिक स्थिति से निपटना है और इसलिए, यह एक लाभकारी कानून है, जिसे विवादित आदेश पारित करते समय तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया है। 2006 के नियमों का प्रासंगिक नियम 2 निम्नानुसार हैः-

> "2. नियमों का उद्देश्य समूह सी और डी श्रेणी के एक मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार की सहायता करना है, जो वित्तीय

सहायता देकर नियमित सेवा में रहते हुए रोटी कमाने वाले के नुकसान के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने में मदद करता है।"

(10) यदि परिवार पेंशन नियम, 1964 की जांच की जानी है, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता 17.11.2016 के बाद परिवार पेंशन प्राप्त करने का हकदार था और उसे इस तथ्य के कारण अस्वीकार कर दिया गया है कि उसे भा.दं.सं. सी. की खंड 303 के तहत दोषी ठहराया गया है। उक्त नियम को पढ़ने से यह नहीं पता चलेगा कि यह एक अलग तरीके से तैयार किया गया है क्योंकि यह पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्रता के बारे में बात करता है यदि किसी व्यक्ति पर सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या इस तरह के अपराध के लिए उकसाने का आरोप लगाया जाता है।इस प्रकार अयोग्यता ऐसे व्यक्ति या अन्य 2 2019 (1) सेवा मामलों के लिए आज 703 364 है। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार का सदस्य।वर्तमान मामले में, जैसा कि देखा गया है, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि याचिकाकर्ता के पति, सरकारी कर्मचारी, तारसेम सिंह की हत्या के कारण नहीं है, जिनकी मृत्यु आईडी1 पर हुई थी।इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए उक्त

प्रावधान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह परिवार के अन्य सदस्यों को लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्यता है, जो परिवार पेंशन प्राप्त करने के अधिकार से उत्पन्न हो रहे हैं।केवल अगर सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी गई है, तो अयोग्यता उत्पन्न होगी।उक्त प्रावधान हिंदू

उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की खंड 25 के तहत प्रदान किए गए सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो हत्या करता है या हत्या के लिए उकसाता है, उसे हत्या किए गए व्यक्ति की संपत्ति, या किसी अन्य संपत्ति को विरासत में पाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः-

"25. हत्यारे को अयोग्य ठहराया गया-- एक व्यक्ति हत्या या हत्या करने में सहायता करने वाले व्यक्ति की संपत्ति, या उत्तराधिकार को आगे बढ़ाने के लिए कोई अन्य संपत्ति जिसके लिए उसने हत्या की है या हत्या के लिए उकसाया है, उसे विरासत में पाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।"

(11) इस प्रकार, परिवार पेंशन नियम, 1964 के नियम 4-ए (ए) के पीछे का उद्देश्य परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने से रोकना है, यदि वे हत्या करने या सरकारी कर्मचारी की हत्या के लिए उकसाने में शामिल हैं।

(12) रिलायंस को श्रीमती के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित इसी तरह के आदेश पर भी रखा जा सकता है। शारदा

देवी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, WP-7725-2015, तय किया गया

15.12.2017 पर।उक्त मामले में, विधवा की पारिवारिक पेंशन को इस तथ्य के कारण रोक दिया गया था कि उसे अपनी बहू की मौत के लिए भा.दं.सं. की खंड 304-बी के तहत दोषी ठहराया गया था।राज्य ने एम.

पी. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 47 (11) (सी) पर भरोसा किया था, जो परिवार पेंशन नियम, 1964 के नियम 4-ए (ए) के समान है।अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पेंशन को तभी रोका जा सकता था जब याचिकाकर्ता पर सरकारी कर्मचारी की हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया होता।उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

"याचिकाकर्ता का तर्क है कि वन संरक्षक और डी. एफ. ओ., सामान्य वन प्रभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक <आई. डी. 1 के आक्षेपित आदेश संलग्नक पी/1 के माध्यम से, याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन को एम. पी. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 47 (11) (सी) में निहित प्रावधानों को लागू करते हुए रोक दिया गया है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि अधिकारियों द्वारा इस नियम को गलत तरीके से समझा गया है, क्योंकि नियमों के नियम 47 (11) (सी) (आई) में कहा गया हैः-

"(ग) (i) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, इस नियम के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, उस पर सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या ऐसा अपराध करने

के लिए उकसाने के अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का दावा, जिसमें अन्य पात्र सदस्य या परिवार के सदस्य शामिल हैं, उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के समापन तक निलंबित रहेगा।"

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

जैसा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन को केवल तभी रोका जा सकता था जब उस पर सरकारी कर्मचारी की हत्या के अपराध का आरोप लगाया जाता, जिस पर वह आश्रित होने के नाते पारिवारिक पेंशन का दावा कर रही है, अपनी बहू की मृत्यु के लिए भा.दं.सं. सी. की खंड 304-बी के तहत उसकी दोषसिद्धि इस श्रेणी के तहत नहीं आती है और इसलिए, विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

नियमों के नियम 47 (11) (सी) में निहित प्रावधानों को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि इस प्रावधान को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गलत तरीके द्वारा लागू किया गया है, यह विवादित आदेश इसके

योग्य है और इद्वारा रद्द कर दिया जाता है।यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की पारिवारिक पेंशन को तीस दिनों के भीतर अंतिम रूप

दिया जाए और उपरोक्त अवधि के भीतर उसके पति की मृत्यु से उसे पारिवारिक पेंशन का अवशिष्ट भी दिया जाए।

तदनुसार, इस याचिका का निपटारा किया जाता है।"

(13) नतीजतन, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को उसकी दोषसिद्धि के कारण पेंशन से इनकार करने का दिनांकित आदेश, उसके पति की मृत्यु से असंबंधित है और टिकाऊ नहीं है और तदनुसार, उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

(14) तदनुसार, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को मासिक वित्तीय सहायता अवशिष्ट का भुगतान करने के लिए एक परमादेश जारी किया जाता है, जो 2006 के नियमों के तहत देय होने तक स्वीकार्य था।इसके बाद, पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर कार्रवाई की जाए और उसे अवशिष्ट राशि का भुगतान किया जाए।याचिकाकर्ता देय होने की तारीख से उक्त अवशिष्ट पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का लाभ भी प्राप्त करने का हकदार होगा।इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य किया जाएगा।

पायल मेहता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सावित्री